<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)संकलन/वा.ले. 12-13/213/ 350. दिनांक : 23/8/13

उप आवासन आयुक्त,
आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त/खण्ड ...समस्त।.......

विषय :- आयकर की स्त्रोत पर कटौती एवं आयकर विभाग में जमा करवाने बाबत्।

संदर्भ :- (i) कार्यालय आदेश क्रमांक 166 दिनांक 23.08.2008
(ii) पत्रांक एफ2(8)संकलन/वा.ले./194/02 दिनांक 02.04.2012
(iii) पत्रांक एफ2(8)संकलन/वा.ले. 11-12/194/177 दिनांक 12.06.2012

महोदय,

टी.डी.एस. की स्त्रोत पर कटौती कर आयकर विधान द्वारा निर्धारित समयावधि (प्रत्येक आगामी माह की 7 तारीख) तक आयकर विभाग में जमा करवाने की बोर्ड पर बाध्यता है। स्त्रोत पर काटी गयी टी.डी.एस. की राशि को आयकर विभाग में e-payment through Internet Banking द्वारा जमा करवाया जाना है। इस बाबत उपर्युक्त (i) में संदर्भित आदेश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। तथापि संकलन प्रकोष्ठ में आयोजित 'खाता-मिलान कार्यक्रम' वर्ष 2012-13 के दौरान यह जानकारी में आया है कि अब भी बोर्ड की अधिकांश इकाईयां काटी गई टी.डी.एस. की राशि को, चैक जारी कर चालान के मार्फत जमा करवा रही हैं। चैक के समाशोधन के उपरान्त बैंक द्वारा उक्त चालान पर प्राप्ति दर्ज की जाती है। इस प्रक्रिया में टी.डी.एस. निर्धारित तिथि तक जमा नहीं हो पाता है। साथ ही आयकर प्रावधानों का उल्लंघन भी हो रहा है। कई बार जमाशुदा चालान की प्राप्ति रसीद बैंक से प्राप्त नहीं हो पाती है।

टी.डी.एस. की त्रैमासिक रिटर्न (Q 24, Q 26) एवं वार्षिक रिटर्न भी अधिकांश इकाईयों द्वारा आयकर विभाग में विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही है। फलस्वरूप उक्त दोनों कृत्यों के लिए बोर्ड पर आयकर विभाग द्वारा भारी ब्याज/शास्ति आरोपित की जा रही है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रदत्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये स्त्रोत पर काटे गये टी.डी.एस. का e-payment करावें एवं आयकर विवरणिकाएं निर्धारित समयावधि में विभाग में प्रस्तुत करावें। अन्यथा संबंधित डी.डी.ओ./सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार को व्यक्तिशः जिम्मेदार ठहराते हुए कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(signature)
वित्तीय सलाहकार